टोकन के इस भाग को आवेदक को देवे
जिला :- सूरजपुर कलेक्टर जनदर्शन
https://jandarshan.cg.nic.in
जनदर्शन का टोकन नम्बर 2250325000876
सुरक्षा नं. 743
दिनांक - 02/06/2025

...महोदय
...सूरजपुर (छ.ग.)

आवेदकगण

1. महेन्द्र दुबे आ. विश्वनाथ दुबे. उम्र लगभग 58 वर्ष
2. सतीश दुबे आ. स्व. विश्वनाथ दुबे उम्र लगभग 56 वर्ष
3. रविशंकर दुबे आ. स्व. विश्वनाथ दुबे उम्र लगभग 54 वर्ष
4. राजेश दुबे आ. स्व. विश्वनाथ दुबे उम्र लगभग 52 वर्ष

सभी जाति, ब्राहमण निवासी श्याम मंदिर के पास लंकापारा केतका रोड सूरजपुर पो व तह. सूरजपुर छ.ग.

5. रामकृपाल दुबे आ. स्व. ओंकार नाथ दुबे उम्र लगभग ...... जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कृष्णपुर पो. कृष्णपुर जिला सूरजपुर छ.ग.

विषयः– तहसीलदार भैयाथान संजय राठौर से साँठ–गाँठ करके एकतरफा फर्द बँटवारा के संबंध में शिकायत बाबत्।

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है।

1. यह कि आवेदकगण की सम्मिलात खाता की भूमि ग्ताम– कोयलारी ग्राम पंचायात करकोटी पटवारी हल्का नं. 11.रा.नि.मं. शिवप्रसादनगर तहसील–भैयाथाना सूरजपुर में स्थिति है।
2. यह कि आवेदकगण की सम्मिलात खाते का फर्द बँटवारा से पूर्व का खसरा क्र. 10,15,17,19/1,146,170,175,183,193,195,233,240,255,323,327,338,343,348,369,414,452,466,479,486,493,508 जिसका कुल रकबा 15.87 हे. था।
3. यह कि उक्त सम्मिलात खाते की भुमि को बँटवारे के संबंध में प्रकारण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. में विचाराधीन हैं, जिसमें अपील क्र. 291/2018 महेन्द्र दुबे वगैरेह प्रति गंगा देवी वगैरह तथा अपील क्र. 316/2021 महेन्द्र दुबे वगैरह प्रति गंगा देवी वगैरह है।
4. यह कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. में इन दोनो प्रकरणो के विचाराधीन सिथति में होते हुऐ भी पक्षकार विरेन्द्र दुबे, देवी प्रसाद दुबे, शिवम दुबे व अन्य के साथ देवचंद दूबे, जो सम्मिलात खाते के ना हकदार है, न ही पक्षकार है, ने तहसीलदार भैयाथान संजय राठौर के साथ साँठ–गाँठ करते हुए सुनियोजित तरीके से एकतरफा बंटवारा करवाया है।
5. यह कि तहसीलदार भैयाथान संजय राठौर द्वारा राजस्व आदेश–पत्र मं दिनांक 01..01. 2025 को पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा के आधार पर ज्ञापन जारी करने 3 दिवस के

भीतर अभिलेख दुरुस्ती करने का उल्लेख किया गया किन्तु इसका पालन नही कराया गया ।

6. यह कि उक्त फर्द बटवारे में खसरा क्र. 19/1 में देवी प्रसाद दुबे 0.22 हे. रकबा व ओंकार, किसुन गोपेश, दिवेश सिधेश वगैरह को खसरा क्र. 19/6 में 0कृ20 हे. रकबा दिया गया । दिनांक 02.02.2025 को देवी प्रसाद व विरेन्द्र दुबे के द्वारा तहसीलदार भैयाथान को दिये गये आवेदन पत्र में उन दोनो के मध्य आपस में भूमि बदलाव का उल्लेख है। किन्तु इस बदलाव को करने में खसरा क्र 19/6 की भुमि को उसके भू-स्वामियो गोपेश, दिपेश, सिधेश वगैरह की सहमति के बिना उस भूमि से 0.8 हे. रकबा की भुमि तहसीलदार संजय राठौर के द्वारा देवीप्रसाद दुबे के नाम कर दी जाति है। जिसमें से ही संजय राठौर ने अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम से प्रतिफल स्वरुप भूमि प्राप्त किया ।

7. यह कि तहसीलदार संजय राठौर को एकतरफा फुर्द बंटवारा के प्रतिफल के रुप में भूमि प्राप्ति की इतनी तीव्रता थी, कि हल्का पटवारी को अभिलेख दुरुस्ती हेतु दिनांक 07.03.2025 को दिये ज्ञापन से पूर्व ही अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम इसी सम्मिलात खाते की भूमि से 0.12 हे. भूमि दिनांक 05.05.2025 को रजिस्ट्री करा ली।

8. यह कि माननीय न्यायालय तहसीलदार भैयाथान ने एक पक्षीय बटवारा का यह प्रकरण दिनांक 26.11.2024 को राजस्व आदेश-पत्र में प्रकारण क्र. 202501261 000027/अ-27 के रुप में दर्ज होता हैं और मात्र 2 पेशी दिनांक 26.12.2024 व 31.12.2024 के पश्चात् 01.01.2025 को आदेशित होकर तीन दिवस के भीतर रिकार्ड दुरुस्ती के आदेश के साथ नस्त्तीवद्ध होता है। किन्तु तहसीलदार संजय राठौर को प्रतिफल के रुप में प्राप्त होने वालि भुमि का रकबा कम होने के कारण रिकार्ड दुरुस्ती का ज्ञापन संजय राठौर द्वारा भमि प्राप्त कर लेने के बाद दिनांक 07.03.2025 को दिया जाता है।

9. यह कि स्व. बालगोविन्द दुबे के वंशजो में बंटवारे का प्रकाणर माननीय उच्चन्यायालय में विचाराधीन होने कि स्थति में भी अधिक भूमि के प्रप्ती के लालच मे तहसीलदार संजय राठौर विरेन्द्रनाथ दुबे, शिवम दुबे ने अन्यो के साथ मिल कर पंडीत बाल गोवीन्द के अन्य वंशजों का नाम खसरा बि1 से हटाकर तथा कुछ का फर्जी हस्ताक्षर उनके बिना सहमती असहमती का उलेख किये बिना उक्त फर्द बंटवारा कर दिया गया।

10. यह कि ग्राम कोईलारी प.ह.न. 11.रा.नि.मं.शिवप्रसादनगर , तहसील, भैयाथान जिला सूरजुपर छ.ग. सम्मिलात खाते की उक्त भूमि पं. बालगोविन्द के वंशजो की है. जिसकी वंशावली निम्नानुसार दर्शित है:-

11. यह कि आवेदक क्र.5 रामकृपाल दुबे के पिता ओंकार नाथ दूबे का निधन हो चुका है इस तथ्य को भी छुपाकर आवेदक क्र. 5 बिना सूचना दिये एक तरफा फर्द बंटवारा किया गया है।

12. यह कि फर्द बंटवारा हेतु माननयी तहसील न्यायालय भैयाथान में दिये आवदेन में विरेन्द्रनाथ दुबे देवी प्रसाद दुबे, शिवम दुबे द्वारा सभी आवेदकों का पता ग्राम कोयलारी तहसील भैयाथान जिला सूरजुपर छ.ग. लिखा गया है, जबकि आवेदक क्र. 12 सोनहत जिला कोरिया छ.ग. में व आवेदक क्र.13 ग्राम नमदगिरी तह.व पो. सूरजपुर छ.ग. में

रहती है। तथा आवदेक क्र. 9.10.11 का वर्तमान पता– सूरजपुर तह.पो. सूरजपुर जिला सूरजपुर छ.ग. है

13. यह कि उक्त प्रकरण में विरेन्द्रनाथ दुबे वगैरह द्वारा दिये गये आवेदन में आवदक क्र. 9,10,11,12,13, के हसताक्षर बिना उनकी जानकारी के फर्जी रुप से करके एकतरफा बंटवारा कराया गया है। जिसकी शिकायत/अपील उक्त प्रकरण के आवेदक क्र. 9,10,11,12,13 द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान के समक्ष की गयी है।

14. यह कि एक और जहां इस एकतरफा फर्द बटवारे में वास्तविक खातेदारो को सुचना व उनकी सहमति हस्ताक्षर नहीं है वही उन लोगो के हस्ताक्षर हैं जो खातेदार की नही है। और इस एकतरफा फर्द बंटवारे के षठयंत्र में सम्मिलित है। देवचन्द दुबे, उनेन्द्र दुबे व त्रिनेत्र दुबे, के हस्ताक्षर है जो स्वत्र श्री बलागोविंद दुबे के नहीं वशवृक्ष में आते है नही जिनका इस सम्मिलात भुमि से संबंध है।

15. यह कि आवेदकणों के पिता के भाई स्व. राधेश्याम दुबे की पत्नी शैल कुमारी दुबे को भी बिना सुचना दिये और बिना उनकी सहमति के यह बंटवारा किया गया है।

16. यह कि आवदेगणों के पिता के बड़े भाई किसुन राम दुबे का भी निधन हो चुका है इस तश्य को भी छुपाकर स्व. किसनु राम के उत्तराधिकारी का नाम न उल्लख कर विरेन्द्रनाथ दुबे,, देवी प्रसाद दुबे, शिवम दुबे, देवचंद दूबे, व अन्य के द्वारा एक पक्षीय फर्द बंटवारा कराया गया है।

17. यह कि तहसीलदार संजय राठौर ने उक्त बंटवारे के प्रतिफल के रुप में सम्मिलात खाते की ख. क्र. 19/1 में से 0.12 हे. भूमि अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम से 05.02.2025 को पंजीयन क्र. **CG-2024-25-184-1-2958** के द्वारा प्राप्त की तथा उसका नामान्तरण 05.05– 2025 को किया गया ।

18. यह कि भुमि के लालच में विरेन्द्र दुबे, देवीप्रसाद दुबे, विशम दुबे, तहसीलदार , संजय राठौर, व अन्यो के द्वारा किया गया कृत्य मात्र राजस्व प्रकरण न होकर आपराधिक भी है।

19. यह कि इस आवेदन में प्रस्तुत कंण्डिका क्र. 1 से कण्डिका क्र. 18 तक में प्रमाणो के आधार पर पूर्वरुपण स्पष्ट है, कि विरेन्द्रनाथ दुबे, देवी प्रसाद दूबे, शिवम दूबे, देवचंद दूबे, संजय राठौर (तहसीलदार) व अन्यो ने छलपूर्वक आवेदकगणो की भूमि हड़पने के उद्वेश्य से आपराधिक कृत्य किया है।

अतः माननीय महोदय, से निवेदन है कि उक्त फर्द बंटवारा को निरस्त करते हुए दोषियो के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कृपा करे।

धन्यवाद

दिनांक

02|06|2025

आवेदकगण

मो.

सतीश दुबे

[signature]

राजेश दुबे

[signature]

संलग्न :—

1. फर्द बंटवारा कें राजस्व आदेश पत्र आवेदन पत्र सहमति पत्र ज्ञापन पुनरावेदन फर्द बंटवारा सूची की छायाप्रति।
2. सन् 2011.12 का बी.1 की प्रति।
3. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. में लंबित दोनो प्रकारणो की प्रति।
4. तहसीलदार भैयाथान संजय राठौर की पत्नी शारदा राठौर के नामान्तरण ईश्तहार, नामातंरण पंजी की प्रति।
5. स्व.बालगोविन्द के वंश वृक्ष प्रति।

मो. 7693866011
9424266011